न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री बी.एल कोठारी,
आई.ए.एस.

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1.भूपाराम पुत्र दानाराम जाति रेबारी 2.कुम्भाराम पुत्र पदमाराम जाति रेबारी 3.करमीराम पुत्र छोगाराम जाति मेघवाल 4.करनाराम पुत्र लखमाराम जाति मेघवाल 5.शैतानसिंह पुत्र राणीदान जाति चारण निवासीगण लुणियासर तहसील सांचोर जिला जालोर		1.सरपंच ग्राम पंचायत नैनोल 2.ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत नैनोल तहसील सांचोर जिला जालोर 3.श्रीमति सतीदेवी पत्नि करताराम जाति कलबी निवासी लुणियासर तहसील सांचोर जिला जालोर

प्रकरण पंचायत निगरानी संख्या 04/2017

पंचायत निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996

....

पक्षकारान के अधिवक्तागण:-

1-श्री सरदारखां खोखर अभिभाषक प्रार्थीगण

2-श्री नवीन गहलोत, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 व 2

3-श्री निखिल दवे, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3

निर्णय

दिनांक:-28.03.2018

1. प्रार्थीगण ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र पट्टा नंबर 05 दिनांक 20.10.2014 ग्राम पंचायत नैनोल के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उपरोक्त पट्टा अप्रार्थी श्रीमति सतीदेवी पत्नि राणाराम जाति कलबी निवासी लुणियासर तहसील सांचोर को ग्राम पंचायत नैनोल द्वारा जारी किया गया है।

2. निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद जांच के दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। वांछित रेकार्ड भी तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब व सबूत प्रस्तुत किये गये। संबंधित अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी के तथ्यो को दोहराते हुये व्यक्त किया गया गया कि प्रार्थीगण गाँव लुणियासर के मूल निवासी है एवं ग्राम पंचायत नेनौल के अन्तर्गत लुणियासर गांव आता है। ग्राम पंचायत नेनौल पंचायत समिति सांचौर की सरपंच श्रीमति समदा द्वारा बहैसियत सरपंच दिनांक 20.10.2014 को रिहायसी मकान का नियमन धारा 157(1) के तहत पट्टा जारी करने का आदेश फरमाया एवं उस आदेश की पालना में ग्राम पंचायत नेनौल द्वारा उसी दिन आवासीय भूमि का पट्टा मिसल संख्या 5/2013-14/20.10.2014 सरपंच ग्राम पंचायत नेनौल बनाम सतीदेवी पत्नी करताराम कलबी के नाम अवैधानिक एवं पंचायतीराज अधिनियम की धारा एवं नियम के विपरित जारी कर घोर कानूनी भूल एवं त्रुटि की है। प्रार्थीगण ग्राम पंचायत नेनौल के क्षैत्राधिकार के निवासी होने से उक्त आदेश जो ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है एवं स्कूल की भूमि होते हुए भी उस जमीन का आवंटन ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के नाम किया जाने से गांव व स्कूल के हित को भारी ठेस पहुची है। उक्त प्रकरण ग्राम के एवं स्कूल के हित में होने से प्रार्थीगण ने निगरानी पेश की है।

ग्राम पंचायत द्वारा आवासीय भूमि का पट्टा दिनांक 20.10.2014 को जारी किया उसका ग्राम पंचायत की किसी भी मीटिंग में प्रस्ताव नही लिया गया, यहां तक कि पडोसियो के बयान भी नहीं लिये तथा कितने वर्ष से कब्जा है, इस संबंध में भी कोई दस्तावेज नहीं लिया गया और बाला बाला ही अप्रार्थी संख्या 3 के नाम स्कूल की भूमि की जमीन का पट्टा जारी किया गया। जो पंचायत के द्वारा पट्टे के संबंध में पंचायतीराज अधिनियम के पूर्णरूप से विपरित एवं परे जाकर जारी किया गया है। जिस जमीन का पट्टा ग्राम पंचायत नेनौल द्वारा जारी किया गया है वह जमीन इस गांव की प्राथमिक स्कूल थी और जिसमें करीब 40-45 वर्ष से भी अधिक समय से स्कूल में बच्चे पढते रहे है और वर्तमान में भी यह जमीन स्कूल की ही है तथा स्कूल का तमाम सामान भी सुरक्षित रखा हुआ है इसके अलावा मौके पर बाड कर छोटी छोटी ओरडीया की है। उस बाड के अन्दर आंगनवाडी भवन को भी लिया गया है जबकि इस जमीन में कई सालो से प्राथमिक स्कूल चल रहा है उसे पडोसी पट्टे में दर्शाया गया है। पंचायतीराज नियम के तहत आवेदन पत्र कब और किसे प्रस्तुत किया गया जिसकी कोई तिथि नही है। अलावा इसके नजरी नक्शा भी संलग्न नहीं किया गया तथा पट्टा किस स्थान का मांगा गया वह स्थान भी सत्यापित नही करवाया गया

Sd/-

जबकि ग्राम पंचायत की बैठक में आवेदन एवं निरीक्षण शुल्क जमा करवाया जाता है। उक्त नियम को अप्रार्थी संख्या 1 व 3 ने नजर अंदाज किया है। तत्कालिन सरपंच उपसरपंच तथा ग्राम सेवक द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये पूर्व में संचालित राजकीय विधालय की भूमि का अप्रार्थी संख्या 3 के साथ सांठ गांठ कर नियमो के विरूद्ध पट्टे जारी कर राजकीय सम्पति को खुर्द बुर्द कर ग्राम पंचायत को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। अप्रार्थी संख्या 3 का ना तो वहां पर मकान है और ना ही कोई पुराना घर बना हुआ है। जमीन स्कूल की है और उस पर कुट रचित दस्तावेज तैयार कर अप्रार्थी संख्या 3 को नाजायज फायदा पहुंचाया गया है। पट्टा एवं आदेश पर सरपंच के अलावा ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के हस्ताक्षर आवश्यक थे वे भी नही है। प्रस्तावित आवेदन पत्र में लिखे मकान अथवा प्लांट का नक्शा ग्राम सचिव द्वारा पंचो की उपस्थिति में जारी किया जाना चाहिये जबकि ग्राम सचिव और पंचो के हस्ताक्षर भी नहीं करवाये गये। इसके अलावा बी.डी.ओ.साहब द्वारा की गई जांच में भी उपरोक्त फर्जी पट्टे ग्राम पंचायत नेनौल द्वारा दिये गये जांच में पाये गये है।

दिनांक 20.10.2014 को 200/-रूपये की राशि के बदले प्लॉट आवंटित किया जाना दर्शाया है जबकि सम्पूर्ण पत्रावली में 200/-रूपये जमा कराने की रसीद के नंबर एवं दिनांक कही पर अंकित नही है। इसके अलावा हल्का पटवारी से भूमि प्रमाण पत्र भी नहीं लिया गया। पट्टा जारी करने के पहले आपत्तियां कर उसे सत्यापित किया जाना चाहिये परन्तु अपने ही रिश्तेदारो एवं परिवार वालो के बयानो के आधार पर तमाम कार्यवाही नियम एवं कानून के विपरित हुई है। दिनांक 10.03.1977 में इसी स्कूल के पास मुल्तानमल शाह वल्द म्याचंदजी तथा सोहनराज पुत्र मुल्तालमजी जाति ओसवाल निवासी सांचौर ने एक बेचान रजिस्ट्री खीयाराम वल्द माहिगां बाबूलाल वल्द खीयाराम निवासी लुणियासर को बपौती कब्जासुद कच्चा मकान का बैचान किया था। जिसकी बैचान रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार सांचौर में करवाई गई। जिसमें उसके पश्चिम में उक्त स्कूल का होना लिखा है। इस प्रकार स्कूल दिनांक 10.03.1977 को भी अस्तित्व में थी और यह जमीन स्कूल की है और उसी जमीन का पट्टा ग्राम पंचायत नेनोल ने गलत दिया है।स्वार्थी लोगो ने स्कूल की जमीन के पट्टे मिलावट कर जारी करवा दिये। बयान भी टाईप सुदा कॉलम की खाना पूर्ति में है। इस प्रकार उक्त पट्टा जारी करने में कानूनी प्रावधानो की त्रुटि कर तत्कालिन सरपंच एवं ग्राम सेवक द्वारा कानून का घोर उल्लंघन किया गया। जिससे पट्टा निरस्त होने योग्य है।

ग्राम पंचायत नेनोल द्वारा पट्टा संख्या 5/2013-14 जारी करने का आदेश दिनांक 20.10.2014 एवं उसी दिन पट्टा जारी करने की जानकारी प्रार्थीगण को नही थी और न ही ग्राम सभा की मीटिंग में उक्त प्रस्ताव पारित हुआ और आमसभा में भी इसकी जानकारी नही दी गई पट्टा एवं उक्त आदेश कब जारी किया गया। जिसकी प्रार्थीगण को कोई जानकारी नही थी। नकल प्राप्त करने का आवेदन दिनांक 09.01.2017 को पेश किया जो हमें दिनांक 09.01.2017 को प्राप्त हुआ इस प्रकार दिनांक 09.1.2017 को उक्त फर्जीवाडा की जानकारी हुई जिससे उक्त निगरानी ग्राम एवं जनहित में पेश की है। जानकारी से निगरानी कानूनी एवं जनहित का मामला होने से निगरानी को डिले माफी फरमाकर निगरानी अन्दर म्याद शुमार कर ग्राम पंचायत नेनौल का आदेश दिनांक 20.10.2014 एवं उसके तहत जारी किया गया पट्टा मिसल संख्या 5/2013-14 को निरस्त करावे।

4. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक ने जबाव में प्रस्तुत तथ्यो को दोहराते हुये बहस में व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में जिस भूमि का पट्टा जारी किया हुआ है उसमें अप्रार्थीया का रहवासीय मकान पुराना बना हुआ है एवं 50 वर्ष के भीतर का है। प्रार्थीगण द्वारा निगरानी गलत आधार पर प्रस्तुत की है। स्कूल की भूमि का हवाला दिया गया है। वह स्कूल अलग भूमि में एवं अलग खसरा नंबर में संचालित हो रही है। जिस भूमि में पट्टा अप्रार्थी सं. 3 के नाम जारी किया गया है वह भूमि स्कूल की भूमि नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त निगरानी जनहित में प्रस्तुत करना बताया है एवं स्कूल की भूमि का आवंटन गलत तौर पर किया जाना बताया है, परन्तु उक्त निगरानी में स्कूल को पक्षकार नही बनाया गया है पंचायत द्वारा तमाम कार्यवाही पूर्ण करते हुये पट्टा जारी किये जाने काबिल भूमि का पट्टा दिया गया है। ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 05.09.2014 के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या 4 में प्रस्ताव लिया जाकर विधिवत रूप से पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थीयां के नाम जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है उसमें न तो कभी स्कूल थी एवं न ही वर्तमान में कोई स्कूल चल रही है।स्कूल का भवन पट्टाशुदा भूमि से अलग है।जो खसरा नबंर 920/605 एवं खसरा नबंर 921/606 में संचालित हो रहा है। विद्यालय की चारदिवारी है एवं उसपर किसी प्रकार का अतिकमण नहीं है। ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 05.09.2014 को पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था एवं उसी रोज पंचायत द्वारा 120/- रूपये की रसीद जरिये पुस्तक संख्या 132 रसीद संख्या 05 के जरिये उक्त राशि जमा कर पत्रावली

Sd/-

दर्ज की गई है। पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार से अपने पद का न तो दुरूपयोग किया है एवं न ही स्कूल की भूमि का पट्टा जारी किया गया है यदि ग्राम पंचायत द्वारा राजकीय स्कूल की भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या 3 को दिया जाता तो स्कूल प्रबंधन द्वारा अवश्य ही इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई जाती परन्तु स्कूल प्रबंधक द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अप्रार्थी संख्या 3 का मकान बना हुआ है तथा पट्टासुदा भूमि स्कूल की नही है एवं पट्टा जारी करने में किसी भी प्रकार की कूटरचना नही की गई है। दिनांक 05.06.2015 को उप पंजीयक सांचौर में उक्त पट्टे का पंजीयन करवाया गया है यदि पट्टे पर हस्ताक्षर नहीं होते तो पंजीयन सम्भव नही था। पट्टा जारी करने तमाम कार्यवाही विधिवत रूप से की गई है। बी.डी.ओ.साहब द्वारा जांच में मात्र राशि के गबन का आरोप डाला गया है। वक्त निरीक्षण जिस रोकड बही का निरीक्षण किया गया था उक्त राशि अन्य खाते में जमा की गई थी। उक्त रोकड बही का इन्द्राज अलग बही में किये जाने के कारण उक्त त्रुटि से जांच में अनियमितता पाई गई थी। पट्टा जारी करने से पूर्व आपत्तियां जारी की गई थी एवं किसी प्रकार की आपति पेश नही होने पर ही पट्टा विधिवत रूप से जारी किया गया है। पूर्व में जो स्कूल चलना बताया गया है।उसमें अस्थाई रूप से पूर्व मालिक की स्वीकृति से स्कूल चलती थी।परन्तु स्कूल भवन का निर्माण हो जाने से स्कूल निर्मित भवन से संचालित हो रही है वर्तमान में किसी भी प्रकार की स्कूल नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त निगरानी महज अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रस्तुत की गई है। उनका किसी भी प्रकार से जनहित का अथवा शिक्षा से जुडी भावनाओ का उद्देश्य नहीं है तथा आदेश 1 नियम 8 की पालना भी नही की गई है। उक्त पट्टा जारी होने के पश्चात दिनांक 05.06.2015 को उप पंजीयक कार्यालय सांचौर के कार्यालय में पंजीकृत किया जा चुका है एवं पजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने का एक मात्र अधिकार सिविल न्यायालय को होने से निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।अप्रार्थी के नाम पट्टा जारी होने की जानकारी प्रार्थीगण को शुरू से थी। उक्त निगरानी म्याद बाहर होने से खारिज की जावे।

5. अप्रार्थी संख्या 3 के विद्वान अभिभाषक ने जबाव में प्रस्तुत तथ्यो को दोहराते हुये बहस में व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में जिस भूमि का पट्टा जारी किया हुआ है उसमें अप्रार्थीया का रहवासीय मकान पुराना बना हुआ है एवं 50 वर्ष के भीतर का है। प्रार्थीगण द्वारा निगरानी गलत आधार पर प्रस्तुत की है। स्कूल की भूमि का हवाला दिया गया है वह स्कूल अलग भूमि में एवं अलग खसरा नंबर में संचालित हो रही है। जिस भूमि में पट्टा जारी किया गया है वह भूमि स्कूल की भूमि नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त निगरानी जनहित में प्रस्तुत करना बताया है एवं उक्त निगरानी में स्कूल को पक्षकार नही बनाया गया है जिससे निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 05.09.2014 के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या 4 में प्रस्ताव लिया जाकर विधिवत रूप से पट्टा जारी किया गया है। स्कूल का भवन पट्टाशुदा भूमि से अलग है। प्रार्थीगण द्वारा परेशान करने की नियत से उक्त निगरानी प्रस्तुत की गई। दिनांक 05.09.2014 की आदेशिका में हवला दिया गया है एवं उसी रोज पत्रावली दर्ज की गई है। प्रार्थीगण द्वारा अनावश्यक रूप से निगरानी में गलत तथ्य वर्णित किये गये है। अप्रार्थी संख्या 3 का मकान बना हुआ है तथा पट्टासुदा भूमि स्कूल की नही है एवं पट्टा जारी करने में किसी भी प्रकार की कूटरचना नही की गई है। पट्टा जारी करने तमाम कार्यवाही विधिवत रूप से की गई है। बी.डी.ओ.साहब द्वारा जांच में मात्र राशि के गबन का आरोप डाला गया है। पट्टा जारी करने से पूर्व आपत्तियां जारी की गई थी एवं किसी प्रकार की आपति पेश नहीं होने पर ही पट्टा विधिवत रूप से जारी किया गया है। पूर्व में जो स्कूल चलना बताया गया है उसमें अस्थाई रूप से पूर्व मालिक की स्वीकृति से स्कूल चलती थी। परन्तु स्कूल भवन का निर्माण हो जाने से स्कूल निर्मित भवन से संचालित हो रही है वर्तमान में किसी भी प्रकार की स्कूल नही है।

प्रार्थीगण द्वारा उक्त निगरानी महज अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रस्तुत की गई है तथा आदेश 1 नियम 8 की पालना भी नहीं की गई है तमाम प्रार्थीगण के हस्ताक्षर भी निगरानी पर नहीं है। उक्त पट्टा जारी होने के पश्चात दिनांक 05.06.2015 को उप पंजीयक कार्यालय साचौर के कार्यालय में पंजीकृत किया जा चुका है एवं पजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने का एक मात्र अधिकार सिविल न्यायालय को होने से निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार से कानूनी प्रावधानो का उल्लंघन नहीं किया गया है एवं विधिवत रूप से तमाम प्रकिया अपनाते हुये पट्टा अप्रार्थीया के नाम जारी किया गया है।पट्टा जारी होने की जानकारी प्रार्थीगण को शुरू से थी। उन्होने मात्र परेशान करने की नियत से उक्त निगरानी प्रस्तुत की है। जो म्याद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

6. मेरे द्वारा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम पंचायत से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 3 के

SH—

विवादित पट्टे हेतु आवेदित पत्रावली आधी अधूरी पेश की गई है। जो प्रावधानो के विपरित है व ग्राम पंचायत द्वारा भी इस अधूरी कार्यवाही की तरफ ध्यान नहीं दिया जाकर पट्टा देने की कार्यवाही की गई है जो प्रावधानो के प्रतिकूल है। इस हेतु संबंधित सरपंच व ग्राम सेवक पदेन सचिव जिम्मेवार है। अगर आवेदन पत्रावली आधी अधूरी है तो विवादित पट्टा जारी करने हेतु अपनाई गई प्रकिया भी अवैधानिक/आधी अधूरी मानी जाती है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा विवादित पट्टा जारी करने में निर्धारित प्रकिया नहीं अपनाई गई है। निर्धारित प्रकिया अपनाए बिना ही विवादित पट्टा जारी किया गया है। जिसे नियमानुसार नहीं कहा जा सकता है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अनुसार इस प्रकार की कार्यवाहियो में पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसके विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियो की नियमतिता के बारे मे किसी पंचायती राज संस्था का अभिलेख मंगवाया जाकर उसका परीक्षण कर आदेश पारित करने के प्रावधान है।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 को पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में वर्णित प्रावधानो के अनुसार निर्धारित प्रकिया को नहीं अपनाया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्टा गलत जारी किया गया है। जो निरस्त करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 3 को जारी किया गया पट्टा संख्या 05 दिनांक 20.10.2014 व इससे संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा लिये गए प्रस्तावो को निरस्त किया जाता है।

प्रकरण ग्राम पंचायत नैनोल को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि ग्राम पंचायत आवेदक से प्रार्थना पत्र पूर्ण करवा कर अगर प्रकरण पट्टा देने योग्य बनता हो तो नियमो की पूर्ण पालना करते हुये नियमानुसार विधी सम्मत कार्यवाही करे ।

Sd/-
(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय 28.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sd/-
(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर